

कार्यालय मुख्य अग्निशमन  
ईमेल—[cfohdr.ukfs@gmail.com](mailto:cfohdr.ukfs@gmail.com)  
पत्रांक: न-10(2) / सीएफओ—एच / 2021

अधिकारी जनपद हरिद्वार।  
फोन नं०—01334—265700  
दिनांक: अगस्त 16, 2021।

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक  
शिवडेल स्कूल, सेक्टर-01,  
बी.एच.ई.एल, रानीपुर, जनपद हरिद्वार।


विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बर:—11345122, दिनांक: 05.08.2021 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं तथा नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समक्षा जाएगा।

अतः आपके संस्थान के प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक: 16 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।
2. शिक्षण संस्थान के सभी शिक्षक/कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. शिक्षण संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
7. अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की प्रति जागरूकता के सम्बन्ध में समय—समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाये, जिससे शिक्षण संस्थान में उपलब्ध अग्नि-निरोधक व्यवस्थाओं पर विश्वास बना रहे।
8. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

  
(नरेन्द्र सिंह कुवर)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
हरिद्वार।

प्रतिलिपि: प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संस्थान में अग्निशमन व्यवस्था मानकानुसार पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही समय—समय पर अमल में लाना सुनिश्चित करेंगे।